यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ना–पत्र संख्या :–80 / प्रा0पत्र / 2020 दायर दिनांक: 17.07.2020

CMS NO:- 2020/00139

पीठासीन अधिकारी:– शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. बाबूनाथ आ0 हीरानाथ जाति नाथ निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

–प्रार्थी–

बनाम

1. छोटूलाल आ0 चोथमल जाति मीना निवासी ग्राम नीमखेडा पंचायत तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2. मीठूराम आ0 चोथमल जाति मीना निवासी ग्राम नीमखेडा पंचायत तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
3. मोजीराम आ0 चोथमल जाति मीना निवासी ग्राम नीमखेडा पंचायत तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
4. शोजीलाल आ0 चोथमल जाति मीना निवासी ग्राम नीमखेडा पंचायत तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
5. कल्याणी पत्नि स्व. चोथमल जाति मीना निवासी ग्राम नीमखेडा पंचायत तलवास तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
6. गेन्दबिहारी आ0 मोतीनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
7. शंभू आ0 मोतीनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
8. खाना आ0 मोतीनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
9. मुकेश आ0 मोतीनाथ जाति नाथ निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र:– अंतर्गत धारा 251(क) आर0टी0 एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रामबाबू शर्मा।

अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 27.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम भंवरखोल पटवार मण्डल तलवास तहसील नैनवां में प्रार्थी के खाते व कब्जे की खसरा संख्या 499 रकबा 11 बिस्वा गे.मु. चाह एवं खसरा संख्या 494 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 497 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 498 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 500 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, प्रार्थी के खाते की खसरा संख्या 499 रकबा 11 बिस्वा गे.मु. चाह पर पहुँचने के लिए प्रार्थी खसरा संख्या 500 की मेर पर होकर आगे खसरा संख्या 488 की उत्तरी मेर पर होकर आगे खसरा संख्या 78 में होकर सडक पर पहुँचता है, यह रास्ता करीब 12 फूट चौडा है, अप्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 के खाते की भूमि खसरा संख्या 78 के खातेदार द्वारा ही प्रार्थी के खाते की भूमि पर आने जाने के लिये निकले हुऐ रास्ते में आने जाने पर ट्रेक्टर लेकर आने जाने में विवाद करते है, जिससे प्रार्थी का खेत पडत रहने की संभावना है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत कुऐ पर पहुॅचने का अन्य कोई रास्ता नही है। इस रास्ते को संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में लाल रंग से दर्शाया गया है। जो प्रार्थना पत्र का भाग है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने न ... आदि प्रस्तुत किये।

अप्रार्थीगण 6 लगायत 9 ने अपने इकबाली जवाब ... में निवेदन किया कि प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र मुताबिक याचना स्वीकार ...

अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 द्वारा ... प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या ... ल में स्थित ... 499 में प्रार्थी का हिस्सा 1/5 निहित ... जी, चन्द्रा, भूरा, नाराय ... । खसरा संख्या 499 पर पहुंचने के लिए प्रार्थी को सरकारी खाल से होता हुआ खसरा संख्या ... व खसरा संख्या 498 जो स्वयं प्रार्थी के खातेदारी की भूमि स्थित है में होकर प्राप्त है उक्त रास्ते को परिशिष्ट ''ब'' में लाल स्याही से दर्शाया गया है जिस पर होकर प्रार्थी को बिना किसी व्यवधान के सर्सीम प्राप्त है तथा वर्षो से पीढी दर पीढी यही होकर आता जाता रहा है। यह कि प्रार्थी अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 से रंजिश रखता है तथा उन्हे नुकसान पहुचाना चाहता है इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में खसरा संख्या 499 की भूमि पर पहुंचने का रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:55 IST
Reason: SelfAttested

फिर भी खसरा संख्या 78 प्रत्यार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता प्राप्त करने के लिए ...त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है अपितु खारिज ...योग्य है। यह कि खसरा संख्या 499 में अन्य सह खातेदारान को प्रार्थी ने न तो पक्षकार बनाया ...और न ही शेष खातेदारान ने उक्त भूमि पर पहुंचने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे यह ...ष्ट है कि प्रार्थी ने प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 को परेशान करने मात्र के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कि प्रार्थी को पूर्व में ही खसरा संख्या 497 व 498 में होकर खसरा संख्या 499 पर पहुँचने का रास्ता प्राप्त है। इसलिये प्रार्थी नया रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यह कि यदि खसरा संख्या 499 पर पहुचने का रास्ता प्राप्त नही होता तो खसरा संख्या 499 के अन्य सहखातेदारान भी रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र पेश करते जिन्होने कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया और न ही उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया है। यह कि न्याय का सिद्धान्त है कि यदि पूर्व में रास्ता प्राप्त हो तो नया रास्ता नही दिया जा सकता। प्रार्थी के पूर्व में ही रास्ता प्राप्त है जो बदस्तूर जारी है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थी अपनी भूमि पर आने जाने के लिये बिना किसी व्यवधान के कर रहा है। यह कि प्रार्थी ने मनगढन्त मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र मात्र प्रत्यार्थीगण को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से पेश किया है जो चलने योग्य नही है अपितु खारिज करने योग्य है।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार यह है कि मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा ग्राम भंवरखोल में स्थित अपनी खातेदारी भूमि आराजी खसरा संख्या 499 व 500 पर आवागमन हेतु संलग्न परिशिष्ट अ में दर्शाये बिन्दू ए से बी तक 12 फीट रास्ता चाहा गया है। वह सीमा पर स्थित अन्य ग्राम नीमखेडा की आराजी भूमि खसरा संख्या 78 रकबा 0.6391 हैक्टयर में से होकर गुजरता है जो मुताबिक रिकॉर्ड में दर्ज नही है। तथा मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नही है। यह कि उक्त खसरा नम्बर की उत्तरी दिशा में लगभग 1—00 बीघा भूमि पर अन्य व्यक्तियों के लगभग 40 वर्ष से मकान बाडे बने हुए है तथा काश्त भी की हुई है। बिन्दू संख्या बी में अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 499 व 500 तक आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा कोई रास्ता नही चाहा गया है अतः परिशिष्ट अ में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित रास्ते के रकबे की गणना का विवरण निम्न प्रकार है—

प्रस्तावित रास्ता हेतु भूमि के रकबे की गणना(ग्राम नीमखेडा में)

ख.न.	लम्बाई	*	चौडाई	खातेदार
78	26 गट्ठा अर्थात(171 फीट)	*	2 गट्ठा (12 फीट)	52 वर्ग गट्ठा अर्थात 2052 वर्ग फीट अर्थात 3 बिस्वा अर्थात 0.0191 हैक्टयर

हमने प्रार्थना—पत्र, शपथ—पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी, अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र एवं रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को प्रार्थना—पत्र में अंकित भूमि पर आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण ने रास्ते का प्रतिकर अदा करने हेतु भी प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम भंवरखोल पटवार मण्डल तलवास तहसील नैनवां में प्रार्थी के खाते व कब्जे की खसरा संख्या 499 रकबा 11 बिस्वा भूमियों तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 78 में से 26 गट्ठा लम्बा व 2 गट्ठा चौडा, रास्ता नक्शा ट्रेश, जिसे परिशिष्ट—''क'' नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी))

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

एक नजरी नक्शा

ग्राम - नीमखेडा

तह० - नैनवाँ

जिला - बून्दी (राज०)

परिशिष्ट - "क"

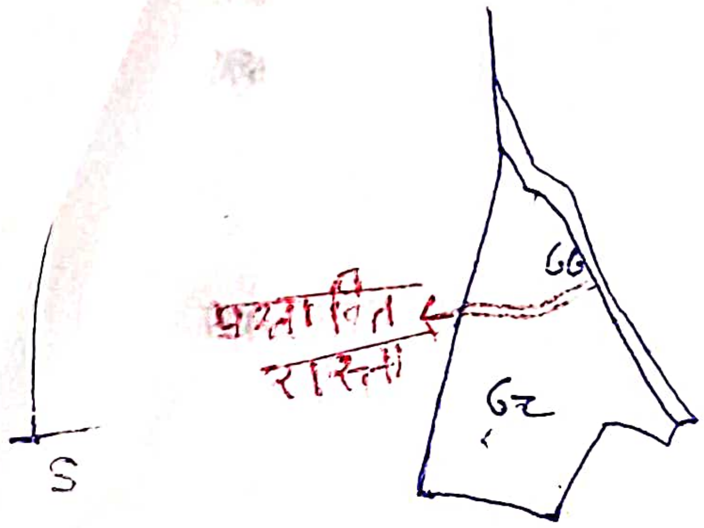

राजकार्य हेतु निःशुल्क सत्य प्रतिलिपि जारी

10-08-2022

पटवारी
पटवार मण्डल नीमखेडा
तहसील नैनवां जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः— रीडर/2023/ 240 दिनांकः— 14.8.23

प्रेषितिः—

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः—न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या 80/प्रा०पत्र/2020

बउनवान बाबूनाथ बनाम छोटूलाल

निर्णय दिनांक 24-7-23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः— उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.08.28 18:12:55 IST
Reason: SelfAttested